भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1980
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

1980. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया (एआई) 171 विमान दुर्घटना की जांच के संबंध में विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट को पूरा करने तथा प्रकाशित करने की वर्तमान स्थिति और निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने "फ्यूल स्विच कट-ऑफ" तंत्र से संबंधित परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर संज्ञान लिया है, यदि हाँ, तो विमान के ब्लैक बॉक्सों के विश्लेषण से प्राप्त तकनीकी निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंजनों तथा मुख्य कंप्यूटर नेटवर्क के घटकों को तकनीकी मूल्यांकन हेतु विदेश भेजा गया था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी आंकड़े विदेशी विनिर्माताओं अथवा संस्थाओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रारंभिक मॉडल के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमानों में संभावित विद्युत या प्रणालीगत विफलताओं के संबंध में विमानन निकायों और स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 12 जुलाई, 2025 को प्रकाशित की गई है, और अंतरिम विवरण दिनांक 12 जून, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जो एएआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जांच चल रही है। दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के पश्चात अंतिम जांच रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

(ख) से (घ): इस जांच में दुर्घटना के मूल कारण और योगदायी कारकों की पहचान करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

(ङ): विमान सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के साथ-साथ स्टेट ऑफ डिजाइन प्राधिकारियों द्वारा उड़नयोग्यता निदेशों (एडी) और सर्विस बुलेटिन (एसबी) के

माध्यम से किया जाता है। प्रचालकों के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के तहत सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है। नागर विमाननन महानिदेशालय भारतीय-पंजीकृत विमानों के लिए उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र निरीक्षणों, नियमित निगरानी और निरंतर पर्यवेक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करता है।

शुरुआती मॉडल बी787 के मुद्दों के संबंध में, अनिवार्य कार्रवाइयां निष्पादित की गई - विशेष रूप से संघीय विमानन प्रशासन (एफएए), उड़नयोग्यता निदेश (एडी) 2013-12-08, जिसमें संवर्धित लिथियम-आयन बैटरी कंटेनमेंट और वेंटिलेशन को अनिवार्य किया गया। बेड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत, ईंधन, सॉफ्टवेयर, वायरिंग, इंजन और संरचनात्मक प्रणालियों हेतु अनुवर्ती उड़नयोग्यता निदेशों (एडी) और सर्विस बुलेटिनों (एसबी) को निरंतर लागू किया गया है और निगरानी की गई है।
